(वाद संख्या–**1455/19**)

22.06.2020

परिवादी, श्रीमती माला रानी, अपने पति सुनील कुमार सिन्हा, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के साथ, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना तथा बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के पति श्री सिन्हा के दिनांक–01 अगस्त, 2005 से उनके सेवानिवृति की तिथि (दिनांक–31.10.2019) तक के वेतन भुगतान न किये जाने तथा बिना कार्य लिये बिठाये रखने व सेवान्त लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित है।

मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है :–

परिवादी के पति ने दिनांक–22.04.1992 को प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में योगदान दिया। सरकारी सेवा में योगदान के पश्चात् उसे नियमित रूप से वेतन भुगतान हो रहा था। दुर्भाग्यवश गठिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण वह दिनांक–31.08.2005 से 10.12.2012 तक कार्यालय नहीं जा पाया। आंशिक रूप से स्वस्थ्य होने के उपरान्त उसने दिनांक–11.12.2012 को जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित किया जिसपर जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना द्वारा करीब एक वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण परिवादी के पति से कोई सरकारी कार्य नहीं लिया जा सका। उसके योगदान पर अंतिम निर्णय के प्रक्रियाधीन रहने के क्रम में ही निदेशक, अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उसका स्थानान्तरण प्रखाण्ड कल्याण पदाधिकारी, पटना के पद से प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, अरवल के पद पर कर दिया गया, जहां उसने दिनांक–10.07.2013 को, अपने पूर्व पदस्थापन से बिना विरमित हुए, योगदान दिया। परन्तु जिला कल्याण पदाधिकारी, अरवल द्वारा उसके योगदान को स्वीकृत करते हुए इसकी सूचना निदेशालय को दे दी गयी। करीब सात माह प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, अरवल के पद पर कार्य करने के उपरांत, उसके योगदान को, निदेशालय के निर्देश के आलोक में, जिला कल्याण पदाधिकारी, अरवल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा उन सात माह के कार्य करने का उसके वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। उसके बाद से लगातार उससे सरकारी कार्य नहीं लिया गया। परिवादी के पति की दिनांक–31.10.2019 को साठ वर्ष की उम्र हो जाने पर सेवानिवृति होती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सेवाकाल में न तो उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया और न ही किसी भी प्रकार का कोई दण्ड ही अधिरोपित किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय भी है कि एक सरकारी कर्मचारी के करीब सात वर्षों से भी अधिक समय तक लगातार अनुपस्थित रहने के बावजूद भी, बिना सरकारी सेवा में दिये गये योगदान को स्वीकार किए उसे स्थानांतरित किया जाता है साथ ही साथ स्थानांतरण के पश्चात् स्थानांतरित पद पर योगदान देने पर उसके योगदान को स्वीकार भी किया जाता है तथा सात माह तक स्थानांतरित सेवा पर उससे कार्य भी लिया जाता है और बाद में उसके पूर्व में दिये गये योगदान को अस्वीकार भी कर दिया जाता है तथा सात वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवानिवृति की तिथि तक, उसके विरूद्ध किसी भी तरह की कोई विभागीय कार्यवाही भी नहीं चलायी जाती है तथा विभाग द्वारा उसे किसी भी तरह का सेवान्त लाभ नहीं दिया जाता है। यह एक सरकारी विभाग की अकर्मन्यता तथा घोर लापरवाही को दर्शाता है।

श्री सिन्हा के अनुसार उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति दिनांक–31 अक्टूबर, 2019 को हो चुकी है फिर भी अबतक उसे सेवाकाल की अवधि के वेतनादि तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान न कर उसे अनावश्यक रूप से आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है तथा यह उसके मानवाधिकार उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है।

अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि **परिवादी के पति श्री सुनील कुमार सिन्हा, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के सेवाकाल, कार्य अवधि के वेतनादि भुगतान तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत अनुमान्य सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में, परिवादी के पति का पक्ष सुनकर, मानवीय दृष्टिकोण से, नियमानुसर कार्रवाई कर दिनांक–21.09.2020 के पूर्व तक अंतिम निर्णय लेकर आयोग को सूचित करे**।

आज परिवादी तथा उनके पति, श्री सुनील कुमार सिन्हा, की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अगली तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें अलग से सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–25.09.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक